Registration no: (20410512021920195518) Date: (0) Valid till: (0)

जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | EAST CHAMPARAN

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना

प्रमाण पत्र

सेवा में

प्रधान / प्रधानाचार्य / प्रबंधक

The Chandrasheel School

Tararia, Chakia, East Champaran, Bihar-845412

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 12 के उपबंधानुसार बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यतीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक. 20-09-2021 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण एवं जिला स्तरीय निरूपमीय समिति के बैठक दिनांक : 6 में लिये गए निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय The Chandrasheel School, Tararia, Chakia, East Champaran, Bihar-845412, Tararia, 845412 को कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्षों 0 से 20-9-2024 अवधि के लिए अस्थायिक मान्यतीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त मान्यतीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. मान्यतीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।

2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे।

3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य आरंभिक शिक्षा उपलब्ध पूर्णतः तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व आरंभिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस नामांकन का अनुपालन पूर्व आरंभिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।

4. संलग्नक 1 में प्रदत्त बच्चों के सामने में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की अनुमेयकारी राशि की गणना के लिए विद्यालय प्रत्येक से रिक्त स्थान का संधारण करेगा।

5. संलग्नक / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं लिया जायेगा तथा किसी भी बच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन में उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपालनका नामांकन की निर्धारित अवधि के बाद जाति धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इनमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।

7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जायेंगे :

(i) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को आरंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

(ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।

(iii) किसी भी बच्चे को आरंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के कोई परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) आरंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 32 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग बच्चों का समावेशन किया जायेगा।

(vi) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुकूल किया जायेगा।

(vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

(viii) शिक्षक किसी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुपालन करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में समस्त सुविधाओं के अनुपालिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उल्लेख मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय समस्त सुविधाओं का विवरण निम्नवत।

Attested

PRINCIPAL
THE CHANDRASHEEL SCHOOL
CHAKIA

(ii) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल :- 204 डिसमिल

(iii) कुल निर्मित क्षेत्र :- 204 डिसमिल

(iv) खेल के मैदान का क्षेत्र :- CCTV, SMART CLASS, IT LAB, SCIENCE LAB, LIBRARY, SPORTS, ARTS & CRAFT, RO PURIFIER, WELL EQUIPPED CLASSROOMS, E.T.C.

(iv) कमरे कक्षों की कुल संख्या :- 16

(v) पाठ्यक्रमेतरक-सह कार्यालय सह-अंतर कक्ष :- 3

(vi) बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय :- Indian , Boys :- 6 , Girls 6

(vii) पेयजल की सुविधा :- 10

(viii) रसायनशास्त्र प्रयोगशाला के लिये खोई घर :- 1

(ix) समाविष्ट पहुँच [ ] :-

(x) शिक्षण अधिगम सामग्री/ खेल-कूद उपकरण/ पुस्तकालय :- BLACK BOARD, POSTER, PRESENTATIONS, SMART BOARD, PRINTED TEXTBOOKS, GRPAHS, AUDIO VISUAL AIDS, VIRTUAL CLASSROOM, LANGUAGE LAB, I.T LAB, INTERNET, E.T.C , BADMINTON, CRICKET BAT, BALL, WICKET, PAD, GLOVES, CRAMEBOARD, CHESS, FOOTBALL, VOLEYBALL, NET RELAY RACE, LUDO BIG DRUM, MIDDLE DRUM, ETC. . [Y , 875 , NewsPaper MagaZine :- 17]

11. कोई भी अनुमोदित कर्मचारी विद्यालय परिसर से या बाहर विद्यालय के काम से कार्यरत नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाओं अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित कानून में समू कानून के तहत गठित किसी कॉर्पोरेट ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के रूप अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. सेवा का प्रोफेशन एवं उसका प्रमाणीकरण थार्ड पार्टी एक्सपर्ट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के अधीन में उपयुक्त सेवा नियमावली तैयार की जाएगी कार्यरत सेवा शिक्षकों की एक प्रति परिवर्त शिक्षा विभाग अधिकारी को भेजी जाएगी।

16. आपके विद्यालय की अस्थायित्व अनुमोदित कोड संख्या [20410501002010201166515, 2021] है। इस कार्यालय से किसी पत्र का पत्राचार करने में इस कोड को अंकित एवं उल्लेख किया जाए।

17. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समय "यदि कि का प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी और राज्य सरकार के स्तर से अनुमोदित की शर्तों के अवधारा स्तर से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के संविधान की किसी धारा की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19. अनुलग्नक 10 के रूप में संलग्न अन्य शर्तें

संभाग प्रभारी
A & ST/RTE/ECCE
बिहार शिक्षा परियोजना
पूर्वी चम्पारण, मोतीहारी

10/6/22
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
ए० सि० एवं समग्र शिक्षा
बिहार शिक्षा परियोजना
पूर्वी चम्पारण, मोतीहारी

जिला शिक्षा पदाधिकारी, EAST CHAMPARAN
शिक्षा विभाग , बिहार सरकार

NOC LETTER

Attested

PRINCIPAL
THE CHANDRASHEEL SCHOOL
CHAKIA